कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / 22434 / 2015–16/309 दिनांक : 19/10/2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा।

विषय : मूल निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश ।

प्रसंग : संयुक्त शासन सचिव, गृह (गृप–9) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक : प15 / 1(32)गृह–9 / 61 पार्ट 3 जयपुर, दिनांक : 29.09.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगानुसार संयुक्त शासन सचिव, गृह (गृप–9) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक : 29.09.2022 जो कि मूल निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में है कि पालना सुनिश्चित करने बाबत लिखा गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न : यथोक्त।

Rajasthan Education Department

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, गृह (गृप–9) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक।
5. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
6. समस्त पीईईओ / यूसीईईओ / संस्थाप्रधान।
7. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय बेव–साईट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल प्रेषण हेतु।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.15(1)(32)गृह-9/61पार्ट3 — जयपुर, दिनांक:- 29 SEP 202

परिपत्र

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में मूल निवास प्रमाण पत्र 1. जिला कलेक्टर 2. उपखण्ड अधिकारी 3. सहायक जिलाधीश 4. तहसीलदार के हस्ताक्षर से जारी किये जा रहे है तथा राज्य के आवेदकों द्वारा स्वयं के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत ई-मित्रों के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित किये जाते है। इन आवेदकों में विद्यालय स्तर में अध्ययनरत कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों द्वारा या उनके अभिभावकों के माध्यम से उक्त आवेदन पत्र प्रेषित किये जाते हैं जिससे विद्यार्थियों को काफी असुविधा महसूस होती है।

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 36028/1/2014-संस्थापन दिनांक 06.05.2016 (प्रति संलग्न) के अनुसार राज्य के विद्यालयों में कक्षा 5 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र विद्यालय के स्तर पर जारी किये जाते हैं।

उक्त निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने कक्षा 5 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर मूल निवास प्रमाण पत्र दिए जाने का निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थियों को आरक्षण के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार से सुविधाएं प्राप्त हो सके एवं विद्यार्थियों को परेशानी नहीं हो।

उक्त मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की प्रकिया निम्नानुसार होगी:-

1. विद्यालय के प्राचार्यो/प्रधानाध्यापकों द्वारा कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के वर्ष में एक बार मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र स्कूल स्तर पर ही भरवायें जावेंगे।
2. आवेदन पत्र विद्यार्थी से भरवाए जाते समय संबंधित स्कूल प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि निर्धारित आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां सही-सही भरें ताकि विद्यार्थी को सही मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकें। आवेदन पत्र में गलत प्रविष्टि अंकित कर देने से गलत प्रविष्टि के आधार पर गलत मूल निवास प्रमाण पत्र जारी हो सकता है जिससे विद्यार्थी को भविष्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थी के संबंध में आवेदन पत्र में वांछित जानकारियों की सत्य प्रविष्टि करवाने की ज़िम्मेदारी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक की रहेगी।
3. उक्त दस्तावेजों को बनवाने के लिए सितम्बर/अक्टूबर माह में कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा उक्त दस्तावेजों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत संबंधित उपखण्ड अधिकारी के परिक्षेत्र में स्थापित ई-मित्र/सी.एस.सी केन्द्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

5. सक्षम प्राधिकारी उक्त आवेदनों की नियमानुसार जाँच कर समयावधि 30–60 दिवस में प्रमाण पत्र जारी करेंगे तथा यदि किसी विद्यार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है तो उसकी सूचना कारण सहित प्रधानाध्यापक/प्राचार्य को दी जावें एवं प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा नियमानुसार इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अपील की जावें।
6. मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों को सुरक्षित संधारण कवर में उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा एक प्रति संबंधित वर्ग के छात्र–छात्राओं को लाभ/रियायत/सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय में सुरक्षित रखी जावें।
7. मूल निवास प्रमाण पत्र यथा संभव कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी को जारी किया जायेगा। यदि अपरिहार्य कारणों से किसी विद्यार्थी का उक्त मूल निवास प्रमाण पत्र कक्षा 5 में जारी नहीं हो पाता है तो ऐसे विद्यार्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र कक्षा 8 में भी जारी किया जा सकेगा।

अतः राज्य में संचालित समस्त सरकारी/गैरसरकारी विद्यालयों के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक उक्त आदेश के अनुसरण में उपरोक्त वर्णित प्रक्रियान्तर्गत मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करवायेंगे।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सीना कुमार)
संयुक्त शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, गृह विभाग राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
4. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी 3/1ए राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर...
6. रक्षित पत्रावली।

(मुकेश पारीक)
शासन उप सचिव, गृह